राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

मनोज बनाम राजस्थान राज्य
(एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-1351/2012)

31.05.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री आर.आर.गोयल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री पीयुष कुमार, लोकअभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के अन्तर्गत यह दाण्डिक विविध याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग क्रम-4,जयपुर जिला-जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 2.4.2012 को चुनौती दी है।

सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का आद्योपांत अनुशलन किया गया।

प्रार्थी के विरूद्ध धारा-16/54, आबकारी अधिनियम,1950 के अन्तर्गत आरोप पत्र/ चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी के 12.9.2006 को जमानत मुचलके जप्त किये गये थे एवं उसे 28.10.2009 को मफरूर घोषित किया गया था तभी से प्रार्थी मफरूफ चल रहा था , ऐसे में प्रार्थी को याचिका में याचित अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। इस दाण्डिक विविध याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: यह दाण्डिक विविध याचिका निरस्त की जाती है।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.